

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/2023/853

जयपुर, दिनांक: 28.07.2023

आदेश

श्री ओमप्रकाश कालवा, सदस्य एवं अध्यक्ष नगरपालिका सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2(च)/जांच/डी.एल.बी./2023/1704-1716 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा नगरपालिका सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर के अध्यक्ष पद से निलम्बित किया गया है।

अतः श्री परसराम भाटिया (मेघवाल) सदस्य वार्ड नं. 37, नगरपालिका सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को अध्यक्ष के पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो, तक के लिए अधिकृत किया जाता है। उक्त कार्यभार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1)(i) के प्रावधानों के अधीन रहेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से




(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प.8(ड)()का.भा./डीएलबी/2023/854-868

दिनांक: 28.07.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), बीकानेर।
8. अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि कार्यभार अवधि पूर्ण होने से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विभाग को आगामी अवधि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।
9. संयुक्त निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी को प्रकाशन करवाने हेतु।
10. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय जयपुर को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. श्री परसराम भाटिया (मेघवाल) वार्ड नं. 37, नगरपालिका सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
13. श्री ओमप्रकाश कालवा, निलम्बित अध्यक्ष, नगरपालिका सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी